न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 58/2025 **G.C.M.S. No. 2025/258** **दर्ज दिनांक : 03.06.2025**

अपीलार्थीगण:

1. दुर्गाराम पुत्र गोपाराम फौत के का.मु.–
   1/1 बुधाराम पुत्र दुर्गाराम
   1/2 सुखाराम पुत्र दुर्गाराम
   1/3 गटुड़ी पत्नि स्व. दुर्गाराम, जातियान कुम्हार (कुमावत), निवासीगण पाटवा, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. धर्माराम पुत्र गोपाराम
2. केसाराम पुत्र गोपाराम
3. रमेशचन्द्र पुत्र गोपाराम
4. सोहनलाल पुत्र गोपाराम, जातियान कुम्हार (कुमावत), निवासीगण पाटवा, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण व जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2024 बअनवान धर्माराम वगैरह बनाम दुर्गाराम के का.मु. बुधाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.03.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री श्यामसिंह सोलंकी, श्री मुस्ताक खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 28.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2024 बअनवान धर्माराम वगैरह बनाम दुर्गाराम के का.मु. बुधाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.03.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट्स/प्रार्थीगण ने अपीलांट्स के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सरहद मौजा पाटवा के खसरा संख्या 1135 रकबा 1.8046 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के संबंध में प्रस्तुत कर रास्ता प्रदान करने बाबत अनुतोष चाहा है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि सर्वथा न्याय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण की विधिवत तामिल नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस बाद तामिल मानते हुए दिनांक 04.09.2024 को अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण की विधि अनुसार तलबी कर विधिवत तामिल नहीं करवाई गई जो कि रेस्पोंडेन्ट्स/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.09.2024 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. से भलीभांति स्पष्ट है। इस प्रार्थनापत्र में रेस्पोंडेन्ट प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट अंकित किया है कि मानवीय भूलवश अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण की जाति व निवासी का टंकण करना रह गया है। इस प्रकार जब मूल प्रार्थना पत्र में ही अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण की शकुनत दर्ज नहीं हैं तो उनकी तामिल माना जाना कत्तई उचित नहीं हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। साथ ही राजस्व नक्शे का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1135 में आने–जाने हेतु अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1134/6 निकटतम रास्ता नहीं हैं, न ही सुविधा का दृष्टि से आने–जाने हेतु उपयुक्त ही है। माफिक नक्शा अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण की भूमि पाटवा से तेलीझगडा जाने वाले रास्ते के बांयी तरफ स्थित है, जिसके ठीक बांयी तरफ खसरा संख्या 1138 की भूमि स्थित है जबकि तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थीगण की भूमि अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण की भूमि के बांयी तरफ दर्शायी गयी हैं। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थीगण ने अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण के विरुद्ध सरासर गलत प्रार्थनापत्र पेशकर रास्ते की मांग की हैं तथा तहसीलदार, जैतारण द्वारा भी मौके एवम रेकर्ड का अवलोकन किये बिना रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा पेश नजरी नक्शे अनुसार ही फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करवाई है। उक्त प्रकार की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर रेकर्ड एवम मौके की तथ्यों की जांच कर नहीं बनाई गई है। क्योंकि रिपोर्ट पर तहसीलदार के लघु हस्ताक्षर ही हैं। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण बुधाराम व सुखाराम व्यापार के सिलसिले में सूरत में रहते हैं तथा गटूड़ीदेवी अनपढ़, ग्रामीण एवं उम्रदराज महिला है। जिस कारण से उनका सम्पर्क हल्का पटवारी एवम गांव के लोगों से नहीं होता है तथा रेस्पोंडेन्ट्स/प्रार्थीगण द्वारा भी मौके पर तथाकथित रास्ते को लेकर कोई विवाद नहीं किया, न ही किसी कोर्ट कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

एवं अपीलाधीन आदेश की पालना में कोई अग्रिम कार्यवाही ही की। जिस कारण से अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण प्रकरण व अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हुई हैं। अभी हाल ही आखा तीज पर रिश्तेदारी में शादी के अवसर पर उक्त बुधाराम व सुखाराम अपने गांव पाटवा आये तब हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत अवगत करवाया, जिस पर दिनांक 07.05.2025 को अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण ने जैतारण कचहरी में जाकर अधिवक्ता के मार्फत अपीलाधीन आदेश एवं सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात उसी रोज अपीलाधीन आदेश मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो नकलें दिनांक 08.05.2025 को प्राप्त हुई तथा उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जांच, रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन निम्नानुसार है:–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी ग्राम पाटवा तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1135 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2025 द्वारा स्वीकार किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 02.06.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का काश्तकार होने एवं निर्णय दिनांक से जानकारी नहीं हुई। अभी हाल ही आखा तीज पर रिश्तेदारी में शादी के अवसर पर उक्त बुधाराम व सुखाराम अपने गांव पाटवा आये तब हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत अवगत करवाया, जिस पर दिनांक 07.05.2025 को अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण ने जैतारण कचहरी में जाकर अधिवक्ता के मार्फत अपीलाधीन आदेश एवं सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात उसी रोज अपीलाधीन आदेश मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो नकलें दिनांक 08.05.2025 को प्राप्त हुई तथा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में अपीलांट्स की लापरवाही से दीर्घ विलंब कारित होना स्पष्ट नहीं हैं। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पाटवा तहसीलदार जैतारण में स्थित अपनी आराजी खसरा संख्या 1135 तक पहुंच के लिए अपीलांट्स की आराजी खसरा संख्या 1134/6 में से रास्ते की मांग की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर भू.अ.नि. से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट्स के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण अपीलांट्स का सिर्फ नाम व पिता का नाम अंकित किया गया है। स्पष्ट डाक का पता अंकित ही नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर विचार किए बिना अपीलांट्स अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए तथा दिनांक 04.09.2024 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.09.2024 को प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर संशोधित शीर्षक प्राप्त किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण को सही डाक पते पर सम्मन प्रेषित ही नहीं किए गए। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स अप्रार्थीगण की समुचित तामील नहीं हुई। अतः अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार भू.अ.नि. द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि भू.अ.नि. द्वारा अप्रार्थीगण अपीलांट्स को सूचित किए बिना एवं इनकी गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो दूषित व त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2024 बअनवान धर्माराम वगैरह बनाम दुर्गाराम के का.मु. बुधाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.03.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 05.01.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner